सरकार जरिये खादय सुरक्षा अधिकारी बनाम भवानी सिंह वगै0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तः–

1. श्री भवानी सिंह राठौड़ पुत्र रामसिंह जाति राजपूत (विक्रेता एवं मालिक)
   फर्म :–मैसर्स धनलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, मैन बस स्टेण्ड, मकराना रोड राणी गांव।
   निवासी :–मु.पो. राणी गांव तह. मकराना जिला नागौर।
2. श्री अवतार सिंह पुत्र शिवपाल सिंह (निर्माता फर्म मालिक)
   फर्म :– मैसर्स भारत फूड प्रोडेक्ट, F–326, रिको तृतीय चरण, बोरानाडा जोधपुर।
   निवासी :–वार्ड नं. 5 कानपुरा बस्ती नोखा मण्डी बीकानेर।
3. फर्म :–मैसर्स भारत फूड प्रोडेक्ट, F–326, रिको तृतीय चरण, बोरानाडा जोधपुर। (निर्माता फर्म)

प्रकरण संख्या :–18 / 2021

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थिति :–

1. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर।

–:निर्णय :–

दिनांक :–23.03.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.09.2020 को समय 01:40 पी.एम. पर फर्म मैसर्स धनलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, राणी गांव जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विक्रेता मालिक की हैसियत से श्री भवानी सिंह राठौड़ पुत्र रामसिंह राठौड़ जाति राजपूत, जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ घी, तेल, वनस्पति आदि विक्रय हेतु रखे पाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति मेरें समक्ष प्रस्तुत कि जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) के 13 प्लास्टिक जार लकड़ी की रैंक में रखे हुए थे। जिन पर फार्म नं. 5ए पर दर्शायेनुसार जानकारी अंकित थी, परन्तु

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्लास्टिक के जारों पर वजन का अंकन किया हुआ नही था, वजन का अंकन नही होने के कारण प्रत्येक जार को मौके पर तुलवाया गया, प्रत्येक का वजन 975 ग्राम ज्ञात हुआ, इससे मुझे इनमें मिसब्राण्ड,सबस्टेण्र्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) को अन्य फर्म से खरीदने का बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) के 4 प्लास्टिक जार मूल ही सिल्ड अवस्था में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 360/–(अक्षरे तीन सौ साठ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा चारों जारों के लिए, विक्रेता (मालिक) एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1338 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता भवानी सिंह राठौड़ एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर माणकचन्द, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना (नागौर)

एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 11.09.2020 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना जार मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 11.09.2020 को स्वयं ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

(4)आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स धनलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर राणी गांव को वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) को अन्य फर्म से खरीद बिल/कैश मैमों/वेट इन्वायस से सम्बंधित जानकारी चाहने बाबत् रजिस्टर्ड पत्रांक 4601 दिनांक 22.09.2020 को प्रेषित किया। जिसकी कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(5) मैसर्स धनलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर राणी गांव से वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) को फर्म भारत फूड प्रोडेक्ट जोधपुर से खरीदने का बिल इन्वायस 64 दिनांक 08.03.2020 की छायाप्रति मय प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जो कि न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स भारत फूड प्रोडेक्ट जोधपुर को फार्म 5ए की प्रति भिजवाने एवं फर्म से संबंधित सूचना चाहने बाबत पत्रांक 5089 दिनांक 20.10.2020 प्रेषित किया जिसकी कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(6) कार्यालय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से पत्रांक 446 दिनांक 17.09.20 प्राप्त हआ जिसमें उन्होंने माह सितम्बर 2020 में प्राप्त नमूनों के खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 और रूल्स/रेग्यूलेशन 2011 के तहत इस प्रयोगशाला में प्राप्त खाद्य नमूनों की जांच 14 दिवस की अवधि में पूर्ण नही की जा सकती प्रयोगशाला का एनएबीएल प्रमाणीकरण एवं प्रमाणीकरण करवाने हेतु आवेदन उपरांत अत्यावश्यक प्रक्रियाए संचालित करने के कारण व कार्यभार बढ़ जाने के कारण उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट नमूना प्राप्ति की दिनांक से 45 दिवस की अवधि (लगभग) पूरी की जा सकेगी। जिसकी प्रति न्याय निर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) की जांच रिपोट संख्या **LS/287/Act**/2020/163 दिनांक 19.10.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता भवानी सिंह राठौड़ से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) का नमूना **Q**–1338 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता भवानी सिंह राठौड़ को अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 509–510 दिनांक 19.11.2020 को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता भवानी सिंह राठौड ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मैसर्स भारत फूड प्रोडेक्ट, जोधपुर से पत्र के साथ प्राप्त फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी सर्टिफिकेट तथा फर्म मालिक अवतार सिंह के आधार कार्ड की प्रतियां प्राप्त हुई तथा इस पत्र में फर्म द्वारा यह भी बताया गया खाद्य पदार्थ के जारों पर पूर्ण पता नही लिखा हुआ नही है उत्पादन ईकाई का पता फर्म द्वारा प्राप्त खाद्य अनुज्ञा पत्र व जीएसटी सर्टिफिकेट के अनुसार है। प्राप्त दस्तावेज न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(8) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(9) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 07.04.2021 को प्रतिवादी भवानी सिंह राठौड़ ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है–

नम् निवेदन है कि मैं भवानी सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपुत उम्र 33 वर्ष निवासी राणीगांव थाना गच्छीपुरा जिला नागौर अर्ज इस प्रकार है कि मेरी राणीगांव में बस स्टेण्ड पर धन लक्ष्मी किराणा स्टोर के नाम से दुकान संचालित करता हूं जिसका मालिक में स्वयं हूँ अभी पूर्व दीपावली के समय मेरी दुकान से घी का सेम्पल भरा गया था। जिसमें कुछ पाईन्ट की मात्रा कम आने से मेरा सैम्पल अमान्य पाया गया है मै माफी चाहता हूँ आईन्दा ऐसी गलती नहीं होगी। जिसके संबंध में श्रीमान के न्यायालय से नोटीस प्राप्त हुआ जो मैं आज दिनांक 07.04.2021 को श्रीमान के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश कर रहा हूँ आईन्दा गलती नहीं होगी व माफी चाहता हूँ मै मेरे परिवार में लालन–पालन करने वाला में ही हुँ मै मेरी दुकान से ही गुजारा चलाता हुँ। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि मुझे माफी बक्साने की कृपा करावें।

(10) प्रकरण की सुनवाई तिथि 15.09.2021 को प्रतिवादी अवतार सिंह ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नप्रकार है–

श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने दिनांक 10.09.2020 को मैसर्स धनलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, राणरी गांव, जिला नागौर से वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) का सेम्पल लिया था। जिसको अमानक पाये जाने से मुझे जरिये नोटिस सूचना दी गई। उक्त वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) में किसी प्रकार की कोई अमानक पायी जाती हैं तो इसके लिए मै क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अतः प्रार्थना–पत्र मय जवाब पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को कम से कम जुर्माना करते हुए माफी प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण को निस्तारित किया जाने का आदेश फरमावें।

(11) प्रकरण में प्रतिवादीयों द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन कर न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(12) प्रकरण में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.09.2020 को समय 01:40 पी.एम. पर फर्म मैसर्स धनलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, राणी गांव जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विक्रेता मालिक की हैसियत से श्री भवानी सिंह राठौड़ पुत्र रामसिंह राठौड़ जाति राजपूत, जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ घी, तेल, वनस्पिति आदि विक्रय हेतु रखे पाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जिसकी छाया प्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की जिसकी छायाप्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(13) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) के 13 प्लास्टिक जार लकड़ी की रैंक में रखे हुए थे। जिन पर फार्म नं. 5ए पर दर्शायेनुसार जानकारी अंकित थी, परन्तु प्लास्टिक के जारों पर वजन का अंकन किया हुआ नही था, वजन का अंकन नही होने के कारण प्रत्येक जार को मौके पर तुलवाया गया, प्रत्येक का वजन 975 ग्राम ज्ञात हुआ, इससे मुझे इनमें मिसब्राण्ड,सबस्टेण्र्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) के 4 प्लास्टिक जार मूल ही सिल्ड अवस्था में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 360/–(अक्षरे तीन सौ साठ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **Q**–1338 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता भवानी सिंह राठौड़ एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–मैसर्स धनलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, मैन बस स्टेण्ड मकराना रोड़, राणी गांव से खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.09.2020 को एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 11.09.2020 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 11.09.2020 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के **FORM-B** रिपोर्ट नं. **L.S**/287/**Act**/2020/163 दिनांक 19.10.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

सरकार जरिये खादय सुरक्षा अधिकारी बनाम भवानी सिंह वगै0

Opinion- The Sample of Vanaspati (The Best Dairy Brand) bearing Code No. and Sr. No. Q-1338 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) की जांच रिपोर्ट संख्या LS/287/Act/2020/163 दिनांक 19.10.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता भवानी सिंह राठौड़ से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) का नमूना **Q-1338** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है-

धारा 51:-अवमानक खाद्य के लिए शास्ति:-

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(14) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक-509-10 दिनांक 19.10.2020 से प्रतिवादी को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (द बेस्ट डेयरी लाईट फैट) Q-1338 सबस्टेण्डर्ड है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म- मैसर्स धनलक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, मैन बस स्टेण्ड, मकराना रोड़ राणी गांव दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-51 के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

तहत प्रतिवादी भवानी सिंह राठौड़ पुत्र रामसिंह, निवासी– मु.पो.राणी गांव तह. मकराना जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति व प्रतिवादी श्री अवतार सिंह पुत्र शिवपाल सिंह निवासी–वार्ड नं 5 कानपुरा बस्ती नोखा मण्डी बीकानेर, फर्म– मैसर्स भारत फूड प्रोडक्ट, F–326 रिको तृतीय चरण, बोरानाड़ा जोधपुर पर राशि रूपयें 30000/–(अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(15) आदेश दिनांक 23.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुहर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर))

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवान